



राज्य सूचना आयोग
बिहार, पटना

के० संख्या- 68/06-07

10.11.2006

आवेदन की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए श्री राजीव लोचन, अपर सचीव-सह-लोक सूचना पदाधिकारी, से दिनांक-02.12.06 तक मंतव्य की मांग करें। दिनांक-06.12.06 को 11.00 बजे प्रातः में सुनवाई के लिए रखें। लोक सूचना पदाधिकारी एवं आवेदक को सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने के लिए लिखें। आवेदक को निर्धारित शुल्क भी जमा करने के लिए कहें।

(पी०एन० नारायणन)
राज्य सूचना आयुक्त

(मो० शकील अहमद)
राज्य सूचना आयुक्त

(न्या० शशांक कुमार सिंह)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

06.12.2006

दिनांक 10.11.2006 के आदेश के अनुरूप अग्रेतर कार्रवाई अभी तक नहीं हो पायी है। अतएव सुनवाई के लिए दिनांक 08.01.07 को 11.00 बजे प्रातः उपस्थापित किया जाय।

(पी०एन० नारायणन)
राज्य सूचना आयुक्त

(मो० शकील अहमद)
राज्य सूचना आयुक्त

(न्या० शशांक कुमार सिंह)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

08.01.2007

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से अपर सचिव-सह-लोक सूचना पदाधिकारी उपस्थित हुये। उन्होंने बताया कि वांछित सूचना एकत्र करने में कुछ समय लगेगा। पुनः सुनवाई हेतु दिनांक 31.01.07 को प्रातः 10.30 बजे की तिथि निश्चित की गयी।

(मो० शकील अहमद)
राज्य सूचना आयुक्त

(न्या० शशांक कुमार सिंह)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

31.01.2007

कार्मिक विभाग के उप सचिव से उत्तर प्राप्त हुआ है जिसके अनुसार मांगी गई सभी सूचनाएँ आवेदक को दे दी गई है। आवेदक अनुपस्थित हैं। पर यह मानते हुए कि वादी को सभी मांगी गई सूचनाएँ, दे दी गई है, अतएव इस मामले को समाप्त किया जाता है।

(मो० शकील अहमद)
राज्य सूचना आयुक्त

(न्या० शशांक कुमार सिंह)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त